न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गावों के संग अभियान–2023
कोर्ट केम्पः– ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर
राजस्व आवेदन संख्या :– 60 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 गिरधरसिंह 2 छोटूसिंह पिसरान नरपतसिंह 3 चन्द्रकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री डूंगरसिंह महेचा वकील प्रार्थीगण।
2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 28/04/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी में भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025 / 1737 रकबा 03.07 बीघा व खसरा संख्या 2336 / 1737 रकबा 02.03 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे लठ्ठा ट्रेस की तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 4025 / 1737 रकबा 03.07 बीघा व खसरा संख्या 2336 / 1737 रकबा 02.03 बीघा भूमि है परन्तु राजस्व जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 4025 / 1737 रकबा 02.14 बीघा व खसरा संख्या 2336 / 1737 रकबा 02.16 बीघा दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया गया है। उक्त गलत तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही की गई है तथा प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रकबा के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम नक्शे में नही की गई तथा नक्शे में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व जमाबन्दी में अंकित रकबा से कम–ज्यादा रकबे की तरमीम की गई है। उक्त तरमीम राजस्व अधिकारियों की मनमर्जी से कम–ज्यादा रकबा राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया है, जिसे दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी में भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025 / 1737 रकबा 02.14 बीघा का सही रकबा 03.07 बीघा व खसरा संख्या 2336 / 1737 रकबा 02.16 बीघा के स्थान पर सही रकबा 02.03 बीघा भूमि राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने पत्रांक भू.अ. / 2023 / 1093 दिनांक 18.04.2023 द्वारा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 4025 / 1737 व 2336 / 1737 खातेदारी में दर्ज है, राजस्व नक्शा में उक्त दोनों खसरें मौके पर कब्जे के अनुसार सही पाए गए, जबकि जमाबन्दी मे दर्ज रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	वर्तमान जमाबन्दी के रकबा	शुद्धि हेतु प्रस्तावित रकबा
1	4025 / 1737	0.4371 हैक्टेयर	0.5423 हैक्टेयर
2	2336 / 1737	0.4532 हैक्टेयर	0.3480 हैक्टेयर
	योग :-	0.8903 हैक्टेयर	0.8903 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

इरा प्रकार प्रस्तावित संशोधन से किसी अन्य खसरे अथवा राजस्व नक्शे में किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नही है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से राजस्व नक्शा, मौका स्थिति व जमाबन्दी में एकरूपता हो जावेगी। अतः अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने उक्तानुसार संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाडमेर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025/1737 रकबा 03.07 बीघा का सही रकबा 02.14 बीघा व खसरा संख्या 2336/1737 रकबा 02.03 बीघा के स्थान पर सही रकबा 02.16 बीघा भूमि राजस्व जमाबन्दी में अशुद्ध रकबा अंकित है, जिसके स्थान पर खसरा संख्या 4025/1737 रकबा 02.14 बीघा का सही रकबा 03.07 बीघा व खसरा संख्या 2336/1737 रकबा 02.16 बीघा के स्थान पर सही रकबा 02.03 बीघा भूमि राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त (शुद्धिकरण) हेतु तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट में अंकित किया है। लिहाजा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025/1737 रकबा 02.14 बीघा (0.4371 हैक्टयर) का सही रकबा 03.07 बीघा (0.5423 हैक्टयर) व खसरा संख्या 2336/1737 रकबा 02.16 बीघा (0.4532 हैक्टयर) के स्थान पर सही रकबा 02.03 बीघा (0.3480 हैक्टयर) भूमि राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025/1737 रकबा 02.14 बीघा (0.4371 हैक्टयर) व खसरा संख्या 2336/1737 रकबा 02.16 बीघा (0.4532 हैक्टयर) की वर्तमान राजस्व जमाबन्दी का रकबा निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के मद्देनजर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4025/1737 रकबा 02.14 बीघा (0.4371 हैक्टयर) का सही रकबा 03.07 बीघा (0.5423 हैक्टयर) व खसरा संख्या 2336/1737 रकबा 02.16 बीघा (0.4532 हैक्टयर) के स्थान पर सही रकबा 02.03 बीघा (0.3480 हैक्टयर) भूमि राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 28/04/23 को मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर